भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4775
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2019

विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता

4775. श्री जी॰ सेल्वमः
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है**;** और

(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(**श्री रमेश पोखरियाल** '**निशंक**')

(क) और (ख)**:** मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 2008 से **'**कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना**'** को लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों, जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रूपये प्रति वर्ष से कम हो, को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बारहवीं कक्षा में किसी एक विशेष परीक्षा बोर्ड से संबंधित स्ट्रीम में सफल उम्मीदवारों के 80वें प्रतिशत से ऊपर के छात्र इस योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 10**,**000/ - रुपये प्रति वर्ष और चौथे एवं पांचवें वर्ष के लिए 20**,**000/ - रुपये प्रति वर्ष है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष

के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का तमिलनाडु सहित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश-वार विवरण संलग्नक में दिया गया है।

*****

विद्‌यार्थियों को वित्तीय सहायता के संबंध में माननीय दिनांक 22.07.2019 को पूछा जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4775 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक

संलग्नक

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य/ शिक्षा बोर्ड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (अब तक)
1	अरुणाचल प्रदेश	7.13	12.66	8.80	1.16
2	असम	0.34	0.59	1.59	0.10
3	बिहार	0.14	0.13	0.24	0.10
4	सीबीएसई	10.91	14.56	12.72	0.15
5	छत्तीसगढ़	1.50	2.22	3.19	0.66
6	सीआईएससीई	0.01	0.11	0.05	0.00
7	गोवा	0.19	0.29	0.45	0.03
8	गुजरात	3.03	5.83	5.52	1.43
9	हरियाणा	4.40	5.08	4.73	0.12
10	हिमाचल प्रदेश	2.65	0.49	0.00	0.07
11	जम्मू-कश्मीर	0.38	1.45	1.19	0.15
12	झारखंड	0.03	0.00	0.00	0.00
13	कर्नाटक	21.26	12.71	15.21	2.03
14	केरल	2.01	5.17	6.27	1.51
15	मध्य प्रदेश	8.09	16.82	10.77	0.71
16	महाराष्ट्र	7.88	12.84	15.54	0.54
17	मणिपुर	0.05	0.27	0.33	0.04
18	मेघालय	0.00	0.00	0.01	0.09
19	मिज़ोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.06	0.00	0.18	0.01
21	ओडिशा	1.97	3.47	4.28	0.55
22	पुदुचेरी	0.49	0.31	0.38	0.03
23	पंजाब	7.15	3.94	4.96	0.27
24	राजस्थान	4.08	9.75	2.80	0.76

25	**तमिलनाडु**	**5.78**	**5.68**	**8.70**	**0.88**
26	तेलंगाना	6.09	14.39	6.87	0.59
27	त्रिपुरा	0.31	0.36	0.43	0.06
28	उत्तर प्रदेश	0.98	9.29	5.47	0.96
29	उत्तराखंड	0.25	0.32	0.95	0.20
30	पश्चिम बंगाल	4.01	4.60	7.84	2.71
कुल		**101.18**	**143.33**	**129.45**	**15.92**